122

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2926/2018/दमोह/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 10–5–2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक–620/अ–56/2016–17

.....

विनोद पिता मनोहर लाल आठिया
निवासी ग्राम बेलखेड़ी तहसील बटियागढ़
जिला दमोह म0प्र0

————आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती गोपीबाई पति श्री धनीराम चढ़ार
निवासी ग्राम आंजनी तहसील बटियागढ़
जिला दमोह म0प्र0

2– पूरन लाल पिता नत्थू प्रसाद आठिया
निवासी ग्राम बेलखेड़ी तहसील बटियागढ़
जिला दमोह म0प्र0

————अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20 06/2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–5–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी नं0 26 द्वारा नायब तहसीलदार बटियागढ़ के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि ग्राम कोटवार देशरानी पति सीताराम का निधन हो जाने से कोटवार का पद

15

रिक्त हो गया है। पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कोटवार नियुक्ति हेतु उद्घोषण जारी की गई। तीन आवेदन प्राप्त हुये जिसमे से नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 20-10-2016 को आवेदक को योग्य पाते हुये कोटवार पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 12-4-2017 से तहसील न्यायालय का आदेश विधिसगत पाते हुये अपील अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 की ओर से अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 10-5-2018 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर नायब तहसीलदार बटियागढ़ को आदेशित किया कि अनावेदिका गोपीबाई को कोटवार नियुक्त करने संबंधी आदेश 7 दिवस में जारी करें। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी नं0 26 द्वारा नायब तहसीलदार बटियागढ़ के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम कोटवार देशरानी पति सीताराम का दिनांक 12-9-16 को निधन हो जाने से कोटवार का पद रिक्त हो गया है। पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कोटवार नियुक्ति हेतु उद्घोषण जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये। उद्घोषणा उपरांत तीन आवेदन श्री विनोद कुमार पिता मनोहर लाल अठया, श्रीमती गोपा बाई पति धनीराम अठया एवं श्री पूरनलाल पिता श्री नत्थू प्रसाद अठया की ओर से प्रस्तुत हुये। तहसीलदार ने आवेदक विनोद कुमार की शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी, श्रीमती गोपा बाई की शैक्षणिक चौथी तथा

25

पूरनलाल की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पाई तथा पूर्व कोटवार देशरानी का निकटतम रिश्तेदार भी पाया। थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत एवं हल्का पटवारी से अभिमत लिया जाकर नायब तहसीलदार ने आवेदक को कोटवार पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किये हैं। नायब तहसीलदार ने संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत विधिवत प्रकिया अपनाकर कोटवार पद की नियुक्ति की जाना प्रकट होता है। नायब तहसीलदार ने आवेदक को अन्य दो आवेदनकर्ताओं से अधिक योग्य पाया है। अनावेदक अभिभाषक का यह तर्क कि मृतक कोटवार देशरानी की निकटतम रिश्तेदार (पुत्री) है इसलिए उसे ही कोटवार पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था, मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवेदक विनोद भी मृतक कोटवार का निकटतम रिश्तेदार (पुत्री का पुत्र) है। जब दोनों उम्मीदवार निकटतम रिश्तेदार हों तब शैक्षणिक योग्यता, ग्राम में अच्छी छवि एवं शारीरिक क्षमता को महत्व दिया जाना चाहिए। इस संबंध में सीताराम विरूद्ध प्रहलाद 1973 रा0नि0 224, हनोईदास विरूद्ध 1966 रा0नि0 120, मंगलू विरूद्ध रामेश्वर 1962 रा0नि0 380 में यह निष्कर्ष निकाले गये हैं कि अगर कोटवार या अन्य किसी पद के एक से ज्यादा उम्मीदवार है तो उनमें से सबसे योग्य हो उसे पदाभिलाषी की नियुक्ति किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार 1987 आर एन 208 भोलाप्रसाद विरूद्ध चेतू में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"(2) भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 230कोटवारी नियम– नियम 4 तथा 7–कोटवार की नियुक्ति–ग्राम पंचायत का अभिमत–संदर्भ से परे नहीं–नियुक्तिकर्ता अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

(3) भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 230कोटवारी नियम– नियम 4(2)–कोटवार का निकट सम्बन्धी–अग्रमान्यता का अधिकार–स्वयं में परिपूर्ण अधिकार नहीं है–अन्य उम्मीदवार निकम सम्बन्धी से बेहतर–निकट सम्बन्धी

को अग्रमान्यता नहीं दी जा सकती–नियुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।''

एवं 1986 आर एन 247 लिबरू विरूद्ध जयराम तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''(2) भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 230 कोटवारी नियम– नियम 2 तथा 4(2)–कोटवार की नियुक्ति–भूतपूर्व कोटवार के निकट सम्बन्धी को अग्रमान्यता नहीं दी गई क्योंकि पदाभिलाषी निकट सम्बन्धी से अधिक अच्छा था–नियुक्तिकर्ता अधिकरी द्वारा प्रयुक्त विवेकाधिकार–अपील अथवा पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।''

इसी प्रकार 1990 आर एन 139 कन्हैयादास विरूद्ध मुस. जगन्नाथ कुंवर में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) –– धारा 230–– कोटवारी नियम–– नि0 4(2)– दो अभ्यार्थियों में से एक भूतपूर्व कोटवार की पत्नी––भूतपूर्व कोटवार की निकट संबंधी शारीरिक और मानसिक रूप से कोटवार पद के लिए योग्य नहीं पाइ गई–उसे अधिमान्य नहीं दिया जा सकता। 1987 रा0नि0 208 अवलंबित। 1980 रा0नि0 318 नर्दिष्ट।''

इसी कारण नायब तहसीलदार ने अनावेदिका क0 1 (महिला) एवं अनावेदक कं. 2 को कम शैक्षणिक योग्यता होने के कारण योग्य नहीं पाया तथा आवेदक, जो कि मृतक देशरानी का निकटतम रिश्तेदार होने के साथ–साथ अधिक योग्य एवं शिक्षित पाते हुये कोटवार पद पर नियुक्त किया है।

4/ जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने मात्र इस आधार पर कि अनावेदिका मृतक कोटवार देशरानी की पुत्री है इसलिए उसे ही कोटवार नियुक्त किया जाना चाहिए था, मान्य नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है केवल निकटतम रिश्तेदार को कोटवार नियुक्त करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। प्राथमिकता निकटतम

रिश्तेदार को प्रदान की जा सकती है किन्तु इस प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदिका दोनों ही निकटतम रिश्तेदार है, ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार ने अधिक शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक योग्य उम्मीदार (आवेदक) को प्राथमिकता देकर कोटवार नियुक्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह द्वारा भी विधिसंगत पाया है। दोनों निम्न न्यायालयों के आदेशों में कोई विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त सागर संभाग का आदेश दिनांक 10—5—2018 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीदार बटियागढ़ का आदेश दिनांक 20—10—2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह का आदेश दिनांक 12—4—2017 स्थिर रखे जाते हैं।

5/5

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,